

प्रेषक,

आयुक्त,
मुसादाबाद मण्डल,
मुसादाबाद।

रोपा ने

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1671 / 27-३९ (2008-09) जे०५०

विषय :- हीरा इन्टरनेशनल स्कूल, मण्डी धनोरा, जे०५० नगर को सी०५००५००५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि हीरा इन्टरनेशनल स्कूल, मण्डी धनोरा, जे०५० नगर विद्यालय को सी०५००५००५० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिवर्त्यों के अधीन आपति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कन से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०५० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वैसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ट्री एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि रो उ०५० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान रद्दतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के रैकिंग एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संरथाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०५००५००५०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भद्रन एवं अन्य अवश्यापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम रामपुर तगा, परगना व तहसील धनोरा, जिला जे०५० नगर में स्थित खाता संख्या 00041 गाठा स० 352मि० क्षेत्रफल 0.3230ह० एवं खाता संख्या 00184 गाठा स० 352मि० क्षेत्रफल 1.9310ह० में से 0.6710ह० इस प्रकार कुल 02 किते क्षेत्रफल 0.9940ह० में से 0.8550 ह० (लौजडीड के आधार पर) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापति रहता समाप्त जायेगा।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिवर्त्यों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

⑧ n. 5196
08/06/2023

Principal

Hira International School

(Affiliation No. 2131707)

प्रतिलिपि निम्नलिखित मान्दी धनाउरा (Amroha) वाही हेतु प्रेषित :-

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निरीक्षक, जापल राज्यीय विद्यालय उ०५०, लखनऊ।

दिल्ली की जे०५० नगर।

(ओ०५००५०५०५०५० सिंह)

आयुक्त।

X
Manager
Hira International School
(Affiliation No. 2131707)
Mandi Dhanaura (Amroha)